

21/11/97  
 21/11/97

21/11/97  
 21/11/97  
 21/11/97

(11)

(P)  
 Receipts

राजस्थान सरकार  
 प्रशासनिक कृषि विभाग  
 ( कुशा - 1 )

क्र.सं. 404 (197) प्रशा. कुशा. 1/97

जयपुर, दिनांक 21/11/97

:- बाबत :-

राज्य की निर्वाहक-कार्यो एवं व्यापारिक प्रतिष्ठानों द्वारा निर्मित के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राज्य स्तरीय निम्नित पुरस्कार प्रदान करने के लिए निम्नलिखित राजकीय/आवधिक संस्थानों की संघर्ष कृत क्षमता के गठन की राज्यात्मक महत्वपूर्ण स्वीकृति प्रदान करते हैं :-

- |  |       |
|--|-------|
| 1 - डा. सचिव, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर                        | जयपुर |
| 2 - प्रमुख निदेशक, राजस्थान, न्यु उद्योग विभाग, जयपुर              | जयपुर |
| 3 - संचालक महानिदेशक, निदेशक, भारत सरकार, जयपुर                    | जयपुर |
| 4 - प्रमुख सचिव, राजस्थान वेबर बाक कार्पर्स एण्ड इन्डस्ट्री, जयपुर | जयपुर |
| 5 - प्रमुख प्रमुख, डैम व ज्वेलरी निम्नित संघर्ष परिषद, जयपुर       | जयपुर |
| 6 - प्रमुख प्रमुख, एपेरेट निम्नित संघर्ष परिषद, जयपुर              | जयपुर |
| 7 - अध्यक्ष, फेडरेशन बाक राजस्थान, ए.ए.पी.टी.ए. जयपुर              | जयपुर |
| 8 - निदेशक, उद्योग विभाग, राजस्थान, जयपुर                          | जयपुर |

उक्त कृत क्षमता, राज्य स्तरीय निम्नित पुरस्कार प्रदान करने के अन्तर्गत प्राप्त प्रस्तावों की समीक्षा कर पुरस्कार हेतु निम्नलिखित व्यापारिक प्रतिष्ठान के कृत क्षमता कार्य करेगी।

एक परिषद की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होगी। इन बैठकों में मांग की हेतु गैर सरकारी संस्थानों को किसी प्रकार का भत्ता देय नहीं होगा। कृत क्षमता का प्रशासनिक विकास उद्योग (ग्रुप-1) विभाग होगा।

बाबत में,  
 राज. उ. प्र. सचिव

प्रतिष्ठान निर्माणित की सुझावों एवं आवश्यकताओं हेतु प्रेषित है :-

- 1 - सचिव, राज्यात्मक महत्वपूर्ण, राजस्थान, जयपुर।
- 2 - सचिव, मुख्य संचालक, राजस्थान, जयपुर।
- 3 - निदेशक, मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
- 4 - संचालक संघ, प्रशासनिक विभाग (उद्योग, ग्रुप-1 के माध्यम से)।
- 5 - निदेशक, प्रमुख एवं कृत क्षमता विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 6 - निर्वाहक राज. सचिव, उद्योग और संचालक प्रशासनिक विभाग, फो.सं. (1) ए.पी.टी.ए. के अन्तर्गत में।
- 7 - राज. उ. प्र. सचिव, राज. उ. प्र. सचिव, राज. उ. प्र. सचिव, राज. उ. प्र. सचिव।

कुशा-1/97

नोट :- कृत क्षमता के सम्बन्धित मांग व आवश्यकताओं का उद्योग (ग्रुप-1) विभाग से प्राप्त करें।

:- श्री गणेश :-

क्रमांक प: 201174उधोग/1/91 पार्ट-1A

जन्मदिनांक: 31.08.74

112

प्रतिनिधि विधायिका की सुपरीषद् एवं प्राथमिक कार्यालयी सेवा के लिए वेतन दर:- 1/9

- 1। तन्वित, राजस्थान मंडीट, राजस्थान, जयपुर।
- 2। तन्वित, मुख्यमंत्री मंडीट, राजस्थान, जयपुर।
- 3। निजी तन्वित, मुख्य तन्वित, मंडीट, राजस्थान, जयपुर।
- 4। निदेशक, सुपरीषद् एवं जन सम्पर्क विभाग, राजस्थान, जयपुर।
- 5। निजी तन्वित, उद्योग तन्वित राज, जयपुर।
- 6। प्रबन्ध निदेशक, राज, सशु उद्योग विभाग, जयपुर।
- 7। संवत्स म्हा निदेशक, निदेशक व्यापार भारता सहायक, जयपुर।
- 8। मानद तन्वित, राजस्थान वेन्चर प्रॉपर्टी फंड इन्डस्ट्री, जयपुर।
- 9। क्षेत्रिय प्रबन्धक, पैत व ज्वायंटो निष्ठा संवत्स परिषद्, जयपुर।
- 10। क्षेत्रिय प्रबन्धक, एडवैस निष्ठा संवत्स परिषद्, जयपुर।
- 11। जन्मद, पैतरेण प्रॉपर्टी राजस्थान गवर्नमेंट, जयपुर।
- 12। निदेशक, उद्योग विभाग, राज, जयपुर।

उप निदेशक (तान्वित)

आरके 518

## 1. राजस्थान निर्यात पुरस्कार योजना

राज्य में प्रति वर्ष लगभग 32500 करोड़ रुपये का निर्यात हो रहा है। हाल ही में भारत सरकार द्वारा राज्य में निर्यात उत्पादन को बढ़ाए जाने के उद्देश्य के लिए आधारभूत सुविधाओं को विकसित करने हेतु असाईड योजना लागू की गई है। योजना के अन्तर्गत रॉड नेट वर्किंग विशेष निर्यात औद्योगिक क्षेत्रों का विकास किया जा रहा है। निर्यातकों का ओर अधिक मनीबल बढ़ाये जाने एवं निर्यातकों को पहचान देने की आवश्यकता है। इसके लिए निर्यातकों को प्रति वर्ष पुरस्कार प्रदान किया जाना उचित होगा। पुरस्कार निर्यात परफॉरमेंस एवं अन्य मापदण्डों एवं उत्पादक निर्यातक एवं मरचेन्ट निर्यातकों का अलग-अलग चयन कर प्रस्तावित वर्गीकरण के आधार पर प्रुरस्कृत किया जायेगा।

## 2. निर्यात पुरस्कार निर्धारण का आधार

पुरस्कार दिये जाने हेतु मुख्यतः पिछले वित्तीय वर्ष में किये गये निर्यात के मूल्य को आधार बनाया जायेगा, किन्तु निम्नलिखित विन्दुओं पर भी अच्छे निर्यातकों को पुरस्कृत किया जायेगा :-

1. गत दो वर्षों में निर्यात वृद्धि।
2. निर्यात हेतु नये बाजारों की खोज।
3. नई वस्तुओं का निर्यात।
4. निर्यात की जाने वाली वस्तुओं के निर्माण में स्थानीय दक्षता का सदुपयोग।

## 3. कार्य विधि

उपरोक्त पुरस्कार हेतु सर्वप्रथम राज्य के प्रमुख समाचार पत्रों में विज्ञापन देकर आवेदन-पत्र आमंत्रित किये जायेंगे। आवेदक निर्यातक इकाई अपनी आवेदन जिला उद्योग केंद्रों अथवा मुख्यालय में प्रस्तुत करेगा।

## 4. पुरस्कार वितरण

(अ) निर्यात पुरस्कार निम्नलिखित वस्तुओं अथवा वस्तु समूहों के लिए अलग-अलग दिया जायेगा तथा इन वस्तुओं/वस्तु समूहों के निर्माता निर्यातकों को पुरस्कृत किया जायेगा:-

1.	इजीनियरिंग एवं कम्यूटर हार्डवेयर	- 2 पुरस्कार
2.	प्रिसियस एवं सेमीप्रिसियस स्टोन्स	- 2 पुरस्कार
3.	गोल्ड/सिल्वर/प्लेटिनम ज्वेलरी	- 2 पुरस्कार
4.	दरी व. मलीचा तथा क्रम आधारित	- 2 पुरस्कार
5.	सिले सिलारे वस्त्र (रिडीमेड गार्मेन्ट्स)	- 2 पुरस्कार
6.	खनिज आधारित उत्पाद	- 2 पुरस्कार
7.	कृषि आधारित खाद्य प्रसंस्करण	- 2 पुरस्कार
8.	हैण्डीक्राफ्ट (हरतकला वस्तुएं)	- 2 पुरस्कार
9.	टेक्सटाइल	- 2 पुरस्कार
10.	इलेक्ट्रॉनिक्स	- 2 पुरस्कार
11.	केमिकल्स, फार्मास्यूटिकल्स एवं अलाइड प्रोडक्ट्स	- 2 पुरस्कार
12.	विविध वर्ग	- 2 पुरस्कार

13.	काउण्टर सेल टू फॉरिन ट्यूरिस्ट	- 1 पुरस्कार
14.	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर/KPO/BPO एवं अन्य सेवाएँ	- 2 पुरस्कार
15.	मेटल	- 1 पुरस्कार
16.	लेदर एवं नॉन लेदर फुटवियर एवं अन्य उत्पाद	- 2 पुरस्कार
17.	मेड-अप्स	- 1 पुरस्कार

- (ब) प्रत्येक वर्ष दो महिला निर्यातकों उत्पादक निर्यातकों/व्यापारी निर्यातक को पुरस्कृत किया जायेगा।
- (स) प्रत्येक वर्ष व्यापारी निर्यातकों को भी पुरस्कृत किया जायेगा।
- (द) किसी एक वर्ष में पुरस्कार प्राप्तकर्ता को आगामी दो वर्षों के लिए पुरस्कार हेतु पात्र नहीं माना जायेगा।
- (य) किसी वर्ष में निर्माता निर्यातक अथवा व्यापारिक निर्यातक उपलब्ध नहीं होने की दशा में स्थिति अनुसार दोनों पुरस्कार व्यापारिक निर्यातकों को दिये जायेंगे।
- (र) किसी वर्ग में आवेदन-पत्र प्राप्त नहीं होने अथवा आवेदकों के अपात्र होने की स्थिति में चयन कमेटी को यह भी अधिकार होगा कि उस वर्ग के पुरस्कार अन्य वर्गों की इकाइयों को जिनमें ज्यादा आवेदक हों, उन्हें पुरस्कृत कर सकती है।

## 5. पुरस्कारों हेतु चयन समिति

उपरोक्त पुरस्कार हेतु एक राज्य स्तरीय समिति का गठन किया जायेगा, जिसमें उद्योग आयुक्त, राजस्थान लघु उद्योग निगम, चैम्बर ऑफ कामर्स एण्ड इण्डस्ट्री व्यापारी संघों के प्रतिनिधि, औद्योगिक संघों के प्रतिनिधि, निर्यात संवर्द्धन परिषद के प्रतिनिधि को सम्मिलित किया जायेगा तथा कमेटी द्वारा चयनित निर्यातकों को ही पुरस्कार दिया जायेगा। कमेटी द्वारा समारोह की तिथि समारोह के आयोजन संबंधी कार्यवाही की जायेगी। कमेटी की अध्यक्षता शासन सचिव, उद्योग द्वारा की जायेगी।

## 6. पुरस्कार

प्रत्येक वस्तु/वस्तु समूह के लिये निर्यातकों को अलग-अलग पुरस्कृत किया जायेगा। लगभग 35 पुरस्कार प्रति वर्ष दिये जायेंगे। पुरस्कार हेतु प्रमाण-पत्र स्मृति चिन्ह दिया जायेगा।

7. योजना की क्रियान्विति आयुक्त, उद्योग विभाग द्वारा की जायेगी। योजना के नियमों में संशोधन एवं प्रशासनिक आदेश उद्योग (ग्रुप-2) विभाग, राजस्थान सरकार द्वारा जारी किया जायेगा।

**मापदण्ड**

क्र. सं.	विवरण	अधिकतम अंक	अंकों का विवरण	कुल अंक
1.	2.	3.	4.	5.
1.	वर्ष में किया गया निर्यात	40	1 करोड़ रु० से 5 करोड़ रु० तक	5 अंक
			5 करोड़ रु० से 15 करोड़ रु० तक	10 अंक
			15 करोड़ रु० से 30 करोड़ रु० तक	15 अंक
			30 करोड़ रु० से 50 करोड़ रु० तक	20 अंक
			50 करोड़ रु० से 75 करोड़ रु० तक	25 अंक
			75 करोड़ रु० से 100 करोड़ रु० तक	30 अंक
			100 करोड़ रु० से 150 करोड़ रुपये तक	35 अंक
			150 करोड़ रु० से अधिक	40 अंक
2.	निर्यात पुरस्कार वर्ष में पिछले वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर।	10	25% तक वृद्धि होने पर	2 अंक
			25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर	4 अंक
			50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर	6 अंक
			75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर	8 अंक
			100 %से अधिक वृद्धि होने पर	10 अंक
3.	निर्यात पुरस्कार के पिछले वर्ष में उससे पहले के वर्ष के मुकाबले वृद्धि पर	10	25% तक वृद्धि होने पर	2 अंक
			25 %से अधिक व 50%तक वृद्धि होने पर	4 अंक
			50 %से अधिक व 75%तक वृद्धि होने पर	6 अंक
			75 %से अधिक व 100 %तक वृद्धि होने पर	8 अंक
			100 %से अधिक वृद्धि होने पर	10 अंक
4.	नये बाजारों की खोज	10	5 %तक का निर्यात नये बाजारों में किये जाने पर	1 अंक
			5 %से अधिक व 10 %से कम	2 अंक
			10 %से अधिक व 20 %से कम	4 अंक
			20 %से अधिक व 40 %से कम	6 अंक
			40 %से अधिक व 60 %से कम	8 अंक

			60 %से अधिक होने पर	10 अंक
5.	नये उत्पादों का निर्यात	8	कुल निर्यात के 10 % तक निर्यात नये उत्पादों का किये जाने पर	2 अंक
			10 %से अधिक व 25 %तक होने पर	4 अंक
			25 %से अधिक होने पर	8 अंक
6.	स्थानीय दक्षता का उपयोग	8	25 % तक स्थानीय रोजगार होने पर	2 अंक
			25% से अधिक 50% तक होने पर	4 अंक
			50% से अधिक 75 %तक होने पर	6 अंक
			75% से अधिक होने पर	8 अंक
7.	स्थानीय कुशल एवं अकुशल श्रमिकों को उपलब्ध कराया गया रोजगार।			
	(अ) रोजगार के पद में वेतन भत्तों पर व्यय की गई राशि	2	संवर्ग में प्राप्त अधिकतम व्यय करने वाली इकाई से संबंधित एवं शेष इकाइयों को समानुपातिक अंक प्रदान किये जायेंगे।	2 अंक
	(ब) कर्मचारी भविष्य निधि श्रमिक बीमा योजना, चिकित्सा पुर्नभरण पर	2	श्रमिकों को उक्त योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराई गई राशि यथा-20 लाख रुपये के व्यय पर कम होने की स्थिति में समानुपातिक रूप से अंक प्रदान किये जायेंगे।	2 अंक
8.	रिसर्च एण्ड डवलपमेंट	4	रिसर्च एण्ड डवलपमेंट पर कुल मूजीगत 5% तक	1 अंक
			रिसर्च एण्ड डवलपमेंट पर कुल व्यय का 5 %से अधिक तथा 10% तक	2 अंक
			10% से अधिक व 15 %तक होने पर	3 अंक
			15 %से अधिक होने पर	4 अंक
9.	राष्ट्रीय स्तर का प्रमाण पत्र	2		2 अंक
10.	इको फ्रेंडली environment के लिए किये गये कार्य	2		2 अंक
11.	अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप प्रमाणन या इनोवेटिव कार्य	2		2 अंक
	कुल	100		100 अंक